EMPLOYEES
SELECTION
BOARD

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न. 0 755-2578801-2 Fax: +91-755-2550498 Web :- www.esb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा - 2023

परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 12/01/2023		ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 27/01/2023	
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 12/01/2023		आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 01/02/2023	
परीक्षा दिनांक व दिन		**01 मार्च 2023, बुधवार से प्रारम्भ**	
मण्डल का परीक्षा शुल्क (अ) - प्रति प्रश्न पत्र		**विभागीय शुल्क (ब) (स्कूल शिक्षा विभाग)**	**कुल (अ+ब) प्रति प्रश्न-पत्र**
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू 500/- प्रति प्रश्न पत्र	रू 100/- प्रति प्रश्न पत्र	रू 600/- प्रति प्रश्न पत्र
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 250/- प्रति प्रश्न पत्र	रू. 50/- प्रति प्रश्न पत्र	रू. 300/- प्रति प्रश्न पत्र
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।			
नोट:- म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल, दिनांक 03.01.2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु "विभागीय शुल्क(ब)" बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांरित किया जावेगा ।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
01 मार्च 2023, बुधवार से प्रारम्भ	**प्रथम**	प्रात: 7:00 से 8:00 बजे तक	**08:50** से 09:00 बजे तक (10 मिनिट)	प्रात: 09:00 से 11:30 बजे तक (2:30 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक	**01:50** से 02:00 बजे तक (10 मिनिट)	दोप.: 02:00 से 4:30 बजे तक (2:30 घंटे)

टिप्पणी :-

1 अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू.आई.डी.ए.आई.(UDA) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

2 बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

3 अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं|

4 परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।

5 परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

6 परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।

7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है.

9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी।

10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाता हैं| अत: कम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी|